न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज।

विविध वाद सं0–9 / 2025
(भरण–पोषण वाद सं0–59 / 2022 से संबंधित)

मो0 चांद सिद्दीकी.. आवेदिका
बनाम
मुस्कान खातुन .... विपक्षी

19.07.2025

1. आवेदक मो0 चांद सिद्दीकी (भरण–पोषण वाद सं0–59 / 22 के विपक्षी) की ओर से आवेदन देकर निवेदन किया गया कि आवेदक द्वारा विपक्षी मुस्कान खातुन (भरण–पोषण वाद सं0–59 / 22 की आवेदिका) को आज तक भरण–पोषण हेतु मो0 57,000 / – रूपए का भुगतान कर दिया है। अतः प्रार्थना है कि आवेदक के विरूद्ध निर्गत वारंट (डी0 / डब्ल्यू0) को स्थगित करने की कृपा की जाय। आवेदन की प्रति विपक्षी (भरण–पोषण वाद सं0–59 / 22 की आवेदिका) को दी गई है।

2. उभयपक्षों को सुना।

3. आवेदक द्वारा विपक्षी के बैंक खाते में कई तिथियों मो0 57,000 / – रूपए का भुगतान किया जा चुका है तथा उसका रसीद भी न्यायालय मे आज दाखिल किया गया है। आवेदक इस राशि का भुगतान स्वेच्छा से करते आ रहा था, जिसे विपक्षी द्वारा न्यायालय मे छिपा लिया गया था। आवेदक की ओर से अंडरटेकिंग दिया गया कि वह हर माह आवेदिका को भरण–पोषण राशि का भुगतान करता रहेगा। विपक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आवेदक द्वारा तीन हजार रूपए प्रतिमाह की दर से भरण–पोषण का भुगतान किया जा रहा है। जैसा कि निर्देश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आपराधिक वाद मे दिया गया था। अतः आवेदक मो0 चांद सिद्दिकी को निर्देश दिया जाता है कि बकाया भरण–पोषण भत्ता का भुगतान शीघ्र करें। उनके विरूद्ध निर्गत वारंट (डी0 / डब्ल्यू0) की कार्रवाई दिनांक 21.08.2025 तक के लिए स्थगित किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाध्यक्ष को भेजें।

SD/-
प्रधान न्या0

कार्यालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज।
ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि, थानाध्यक्ष, थाना–नगर सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान न्या0